



शहरीकरण और विकास : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ० अमृता श्रीवास्तव

एसोसिएट प्रोफेसर- समाजशास्त्र विभाग, डी.ए.वी.पी.जी. कॉलेज, गोखपुर (उ०प्र०), भारत

Received- 07.12.2019, Revised- 11.12.2019, Accepted - 14.12.2019 E-mail: - amrita26srivastava@gmail.com

सारांश : शहरीकरण ही भविष्य है। विश्व के आर्थिक विकास का इतिहास दर्शाता है कि शहरों का विकास न केवल स्वभाविक है, बल्कि अति आवश्यक है। शहरीकरण स्थान का बेहतर दोहन कर और उत्पादक शक्तियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर कुछ ऐसी दक्षता करता है जो विकास प्रक्रिया को सुगम बनाता, लेकिन शहरों को यदि उत्पादक उद्यमों का केन्द्र, रचनात्मकता का गढ़ और साझी प्रचुरता की पहचान बनाना है, तो यह आवश्यक है कि एक सुव्यवस्थित आयोजन नीति हो। पूर्व में भी इसके लिये नीतियाँ एवं कार्यक्रमों का प्रयास किया गया है, हालांकि भारतीय शहरी इतिहास का विश्लेषण किया जाय, तो यह आश्चर्यजनक तथ्य आविर्भूत होता है कि ज्यादातर शहरों और नगरों का विकास अपने आप हुआ है। नीतियाँ और कार्यक्रमों का असर बड़े शहरी केन्द्रों पर ही पड़ा है, लेकिन गैर महानगरीय छोटे नगर और शहर शहरी नीति और कार्यक्रमों से अप्रभावित ही रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र शहरों के विकास से जुड़ी आयोजन नीति तथा भविष्योन्मुख कार्यक्रमों का एक समाज वैज्ञानिक विश्लेषण है।

कुंजीशब्द- शहरीकरण, आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन अधिनियम, पंचवर्षीय योजना, सराफ़िकरण।

शहरों के विकास और वृद्धि हेतु योजना, नीति और कार्यक्रमों का विश्लेषण किया जाय, तो स्पष्ट होता है कि पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कई संस्थाओं और संगठनों की स्थापना हुई। योजना संगठन, राष्ट्रीय भवन संगठन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन इसी काल में किया गया। दिल्ली मास्टर प्लान तैयार करने का प्रयास किया गया जो दूसरे राज्यों की शहरी योजना के लिये मॉडल बनता। इस दौरान राज्यों को एक ऐसा विधेयक लाने के लिये कहा गया जो मास्टर प्लान तैयार कर सके तथा यह शहरी भूमि के नियमनों के आधार पर हो। तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) को भारतीय शहरी विकास और योजना के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है क्योंकि इसी ने संतुलित क्षेत्रीय विकास के अनुरूप, नगरों और शहरों के महत्व को मान्यता दी। इसने शहरी भूमि अधिनियम की आवश्यकता, शहरी भूमि की कीमतों पर नियंत्रण पर जोर दिया और साथ ही बड़े शहरों के मास्टर प्लान बनाने का सुझाव दिया। इसमें स्पष्ट था कि मास्टर प्लान तैयार करना राज्य और स्थानीय शासन का दायित्व है। इसने यह भी रेखांकित किया कि नये उद्योग बड़े शहर और घनी आबादी से दूर लगाये जायें और नगर निगमों को मजबूत बनाया जाये। इस कालखंड में ज्यादातर राज्यों ने ब्रिटिश टाउन प्लानिंग की तर्ज पर शहर योजना विधेयक लागू किये। वास्तव में तीसरी योजना शहरी योजना बनाने के क्रम में सबसे नाजुग रही चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) ने भी तीसरी योजना के क्षेत्रीय और शहरी विकास के प्रयासों पर जोर दिया और 72 शहरी केन्द्रों की

विकास योजना शुरू की गयी। मेट्रोपोलिटन शहरी दिल्ली, ग्रेटर बांबे और कलकत्ता के संदर्भ में क्षेत्रीय अध्ययन किये गये।

चंडीगढ़, गाँधीनगर और भुवनेश्वर जैसी राज्यों की राजधानियों के विकास को केन्द्र सरकार द्वारा विशेष अनुदान देकर गति दी गयी। इसने शहरी अधिनियम के विकास पर जोर देते हुए राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे शहरी विकास में बाधक बन रही स्थितियों की समीक्षा करें। पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी भूमि (सीमा और नियमन) अधिनियम 1976 पास किया गया। इसने राज्य सरकारों को सलाह दी कि शहर प्रशासन के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए महानगर योजना क्षेत्रों का निर्माण करें। इस योजना काल में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि महाराष्ट्र सरकार ने 26 जनवरी 1975 को मुंबई मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट एक्ट पास कर दिया और मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (एम.एम.आर.डी.ए.) का गठन कर दिया। इसी काल में आवास और शहरी विकास निगम (हड़को) का गठन हुआ, जो शहरी स्थानीय निकायों, आवास बोर्ड और दूसरे संगठनों को फंड मुहैया कराता था। चौथी योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि महानगर और राष्ट्रीय महत्व के नगरों को वित्त उपलब्ध करायी गयीं, जो पंचवर्षीय योजना (1974-79) तक चलती रहीं। समन्वित शहरी विकास योजना के तहत कोलकाता, मुंबई और चेन्नई और राष्ट्रीय महत्व के अन्य शहरों का फंड मुहैया कराये गये। पाँचवी योजना तक स्पष्ट तौर पर बड़े शहरों को प्रोत्साहित किया जाता रहा, हालांकि



शहरी और औद्योगिक विकेन्द्रीकरण जैसे शब्दाडंबर योजना दर योजना चलाये जाते रहे।

छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) में छोटे और मध्यम शहरों (एक लाख से कम की आबादी वाले शहर) के विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके तहत सन् 1979 में केन्द्र सरकार द्वारा छोटे शहरों के लिए समन्वित विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) योजना लायी गयी। आई.डी.एस.एम.टी. योजना में 96 करोड़ रुपये से लगभग 200 छोटे और मध्यम शहरों को लाभ पहुँचाने का प्रावधान था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत कुछ महत्वपूर्ण सांस्थिक विकास किये गये, जिससे देश में शहरी विकास और योजना का एक स्वरूप तैयार हुआ। शहरीकरण पर बने राष्ट्रीय आयोग ने अगस्त 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और आयोग के सुझावों को शामिल करते हुए लोकसभा में 65 वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक शहरी और स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास था, जिसके तहत एक त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान था। इसमें शीर्ष पर केन्द्र सरकार, माध्यमिक स्तर पर राज्य और सबसे निचले स्तर पर स्थानीय निकायों को रखा गया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पास नहीं हो सका, क्योंकि इसे राज्य सरकार की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप माना गया। कुछ संशोधनों के बाद यह विधेयक सन् 1992 में 74 वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में फिर से पेश किया गया, जिसे संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया और मार्च 1993 से यह अस्तित्व में आ गया। आठवीं योजना के दौरान सन् 1993-94 में मेगा सिटी योजना लायी गयी, जिसमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद शामिल थे। इसके साथ ही आई.डी. एस. एम.टी. का पुनर्गठन करके उसे आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम से जोड़ दिया गया, ताकि बड़े शहरों की ओर बढ़ रहे पलायन को मोड़कर छोटे और मध्यम शहरों की ओर इसे मोड़ा जा सके। ग्रामीण भारत की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए छोटे और मध्यम शहरों को विकास केन्द्र माना गया। बड़े शहरों के मास्टर प्लान की ही तरह, यह सुझाव दिया गया कि छोटे और मध्यम शहरों के विकास में क्षेत्रीय योजना महत्वपूर्ण हो सकती है। इस बात को रेखांकित किया गया कि फंड की कमी इसमें बाधा बन सकती है और बजट और सांस्थिक प्रावध से अलग भी फंड की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए।

नौवीं योजना (1997-2002) में यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य शहरीकरण की योजना विविध शहरी विकास कार्यक्रमों के साथ सह- क्रियात्मक रूप से तैयार

की जानी चाहिए। हालांकि आठवीं योजना में शुरू किये गये अधिकांश कार्यक्रम नौवीं योजना तक चलाये जाते रहे, इस बात पर हमेशा जोर दिया जाता रहा कि शहरी स्थानीय निकायों का विकेन्द्रीकरण और वित्तीय स्वायत्ता बरकरार रहे, ताकि उनमें प्रतिस्पर्धात्मक और क्षमताओं का विकास हो और वे बाजार आधारित चुनौतियों का सामना कर सकें। एक दिसंबर 1997 में एक नयी योजना स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना शुरू की गयी, जिसमें एन.आर. वाई.यू.बी.एस.पी. और पी.एम.आई.यू.पी.ई.पी. को मिला दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत दो उप- योजनाएं चलायी गयीं, जिनमें (1) शहरी स्वरोजगार योजना और (2) शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम शामिल थी। उस समय प्रचलित एन.आर.वाई और पी.एम.वाई.यू.पी.ई.पी. के स्वरोजगार और वेतन रोजगार घटकों का पुनर्गठन करके इस नयी योजना में मिला दिया गया। आगे एन.आर.वाई.और पी.एम.आई.यू. पी.ई.पी. के आवास घटकों को एक नये कार्यक्रम में मिला दिया गया और सन् 1997 में राष्ट्रीय झुग्गी विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) की शुरुआत की गयी हालांकि यह योजना सन् 2005-06 के वित्तीय वर्ष से खत्म कर दी गयी। यह भी दुःखद रहा कि छोटे और मध्यम शहरों की फंडिंग काफी कम थी। उदाहरणस्वरूप, आई.डी.एस.एम.टी. योजना के तहत आठवीं योजना के अंत तक 904 शहरों को कवर किया गया और इस मद में केन्द्रीय सहायता मात्र 283.96 करोड़ रुपये की ही दी गयी। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार, तब 4500 शहरी केन्द्र ऐसे थे, जो छोटे और मध्यम शहर (तीन लाख की आबादी से कम) के तहत शामिल थे, लेकिन आवंटन न सिर्फ कम था, बल्कि यह छोटे और मध्यम शहरों के पाँच में से एक भाग को ही कवर कर पाया। इन परिस्थितियों में यह संभव ही नहीं था कि ये छोटे और मध्यम शहर एक विकसित केन्द्र के रूप में अपने अस्तित्व का विकास कर पायें ताकि देश में क्षेत्रीय विकास की गति कायम रह सके।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में यह तथ्य सामने आया कि शहरीकरण ने आर्थिक उदारीकरण के सन् 1980-90 के दशकों में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इससे यह बात भी सामने आयी कि पाँच नगरों की मेगा सिटी परियोजना, आई.डी.एस.एम.टी और ए.यू. डब्ल्यू.एस.पी. को अपेक्षित रूप से कम ही सफलता मिली। यह भी सामने आया कि पूर्व में शामिल क्षेत्रों और केन्द्रीय सहायता की राष्ट्रीय विधिक कारणों और सीमित बजट प्रावधानों के कारण अपर्याप्त और असमान रही थी। आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए बनायी गयी योजनाएं, जैसे आई. डी. एस. एम. टी. और मेगा सिटी परियोजनाओं ने कई शहरों



को बिना वित्तीय सहायता के छोड़ दिया था। दसवीं योजना में भी यह बात सामने आयी कि एन.एस.डी.पी. का प्रदर्शन इस वजह से भी संतोषजनक नहीं रहा, क्योंकि मुख्य रूप से राज्य के स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसियों को फंड मुहैया कराने में देर की गयी। सन् 2001-02 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों के लिए आवास और वर्तमान आवास में सुधार के लिए एक योजना बाल्मीकि-अंबेडकर आवास योजना शुरू की गयी थी। शहरों के आकार को ध्यान में रखते हुए प्रति घर 20 से 30 हजार का अनुदान भी दिया गया था। यह भी स्वीकार किया गया कि राज्य की सहायता एजेंसियाँ जैसे विकास प्राधिकरणों को शहरी स्थानीय निकायों की सहायक भूमिका में होना चाहिए था, न कि शहरी स्थानीय निकायों के काम को अपने हाथ में लेना चाहिए था। समग्र रूप से दसवीं योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि शहरी स्थानीय निकायों के संस्थानों और उसके लोकतांत्रिक ढाँचे को मजबूत किये बिना शहरी विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के तहत शहरी नीति और कार्यक्रमों में कई विकासोन्मुख परिवर्तन किये गये। कुछ प्रमुख शहरी विकास नीतियाँ इस तरह थी, क्षमता विकास और बेहतर वित्त प्रबंधन के माध्यम से स्थानीय निकायों को सशक्त करना।

विनियमन और भूमि विकास के द्वारा शहरों की क्षमता और उत्पादकता में विकास। शहरी आधारभूत संरचना के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार से मुक्ति और निजी क्षेत्र के निवेश के लिए माकूल माहौल तैयार करना।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कामकाज पर नजर रखने के लिए एक स्वायत्त नियमन संरचना का गठन। गरीबी के मामले कम करना। बड़े पैमाने पर तकनीक और नवाचार का प्रयोग।

शहरी विकास नीति को पुनर्जीवित करने के लिए केन्द्र सरकार ने दिसंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्व्यूअल मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) जैसी बड़ी योजना शुरू की, ताकि प्रारंभिक तौर पर 63 चुनिंदा शहरों की शहरी आधारभूत संरचना के समन्वित विकास पर धन दिया जा सके। इस योजना का जोर शहरी गरीबों की मौलिक सेवा जरूरतों मकान, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कों का संजाल, शहरी परिवहन और शहर के अंदर और पुराने शहरी क्षेत्रों का विकास आदि पर था। पूर्व की योजनाएं, जैसे मेगा सिटी, आई.डी.एस.एम.टी., एन.एस.डी.पी. और वी.ए.एम.बी.ए.वाई. आदि इसमें मिला दी गयी।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. को दो भागों में विभाजित किया गया, जैसे (1) शहरी आधारभूत संरचना और प्रशासन

और यू.आई.जी. और (2) 63 लक्षित शहरों में शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता। गैर लक्षित नगरों और शहर यू.आई.डी.एस.एम.टी.आई.एच.एच.डी.पी. योजना के तहत कवर किये गये हैं। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस. डी.पी. कार्यक्रमों का नोडल मंत्रालय बनाया गया है, जो शहरी गरीबों, खासकर झुग्गी के रहवासियों के आवास और आधारभूत जरूरतों के लिए काम करता है। इस योजना के तहत मौलिक जरूरतें जैसे स्वच्छता, जलापूर्ति, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट, डिस्पोजल जैसे काम हाथ में लिये गये हैं। दूसरी ओर, शहरी विकास मंत्रालय जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत यू.आई.जी. और यू.आई.डी.एस.एम.टी. की देखभाल करता है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रत्येक शहर अपनी शहर विकास योजना तैयार करेगा और शहर के लिए दीर्घावधि की विकास योजना का खाका तैयार करेगा। इसने शहरी सुधारों जैसे भूमि हदबंदी अधिनियम 1976 को रद्द करने, यू.एल.बी. के सशक्तिकरण और निगम लेखा आदि में क्षमता निर्माण और बेहतर से जुड़ी कई शर्तें भी रखीं। इसका यह भी लक्ष्य था कि परियोजनाओं के विकास और वित्त पोषण में पी.पी.पी. के तहत निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाये। एस.जे.एस.आर.वाई. के तहत रोजगार निर्माण और गरीबी उन्मूलन पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को फिर से प्रभावी बनाया गया और क्षमता निर्माण, स्व-सहायता समूहों का गठन और स्वरोजगार के लिए माइक्रो फाइनेंस पर जोर दिया गया। एस.जे.एस.ए.वाई.के तहत केरल की कुदंबश्री संस्था का मॉडल और देश के अन्य हिस्सों के श्रेष्ठ प्रयासों को अपनाने पर भी बल दिया गया।

ग्यारहवीं योजना के मध्यावधि पुनरावलोकन में यह स्वीकार किया गया कि शहरी विकास और जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत शहरी नवीनीकरण के लिए बड़े पैमाने पर फंड की आवश्यकता है। माना जाता है कि इसके लिए लगभग 3-4 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जबकि जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत सातवीं पंचवर्षीय योजना के महज 66 हजार करोड़ रुपये ही आवंटित किये गये।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में जे.एन.एन.यू.आर.एम. को मजबूत बनाये जाने का प्रस्ताव है और माना गया है कि शहरी सुधारों में इसकी व्यापक भूमिका होगी। बारहवीं योजना के तहत जे.एन.एन.यू.आर.एम. से निम्न घटक शामिल हैं—

शहरी आधारभूत संरचना और प्रशासन (यू.आई.जी.)।

राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.)।

शहरों में झुग्गियों का पुनर्वास जो आर.ए.वाई.में शामिल



नहीं।

क्षमता निर्माण।

उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में मुख्य रूप से मुख्य धारा की शहरी योजना का विफल होना, अपूर्ण सुधार और परियोजना के क्रियान्वयन की सुस्त गति आदि प्रमुख व्यवधान रहे हैं। परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करन में देरी और विभिन्न नियमन प्राधिकारों से स्वीकृति आदि में देरी भी सुस्त गति के कारक रहे हैं। सामने आया है कि कई शहरों में शहरी योजना अभी शुरू ही नहीं हो सकी है और इसे मजबूत और भागीदारीपूर्ण बनाने की भी आवश्यकता है। योजना की प्र.ति में ही ऐसा है कि नगर की सीमा से सटे शुरूआती शहरी क्षेत्रों को नजरअंदाज कर देने से भी नगर की विकास योजना पर प्रतिकूल असर पड़ता है। राजीव आवास योजना दो जून 2011 की एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दो साल के लिए शुरू की गयी थी, जिसका लक्ष्य देश को झुग्गी- मुक्त बनाना था। केन्द्र सरकार ने अंततः 2013-2022 की अवधि के लिए तीन सितंबर 2013 को इस योजना का शुभारंभ किया। योजना का लक्ष्य राज्य सरकार और शहरी प्रशासन को झुग्गियों के उन्नयन, उनमें रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देना था और इनका विकास भारत में आबादी की रतार को देखते हुए इस तरह करना था कि भविष्य में भारत झुग्गी- मुक्त हो जाये। योजना के तहत शहर की सभी झुग्गी बस्तियां चाहे वे अधिसूचित हों या न हों (चिन्हित और मान्यता प्राप्त सहित), चाहे जमीन केन्द्र सरकार या इसके अधीन संस्था जो संसद, राज्य सरकार या उसके अधीन गठित की गयी थी, की ही क्यों न हों, चाहे वे यू.एल. बी. या किसी सार्वजनिक और निजी एजेंसी की ही क्यों न हो, शामिल की गयी है। बारहवीं योजना के दौरान नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के तहत एस.जे.एस.आर. वार्ड. के अंदर आने वाले शहरी गरीबी घटाव और रोजगार सृजन कार्यक्रम को खत्म कर दिये जाने का प्रस्ताव है। इसका मूलभूत लक्ष्य ऐसे क्षेत्रों की क्षमता और दक्षता बढ़ाना है, जहाँ रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, ताकि शहरी गरीबों को इसका लाभ मिल सके। विशेषज्ञों द्वारा यह बात सामने लायी गयी है कि संविधान के 74 वें संशोधन का क्रियान्वयन आधा- अधूरा ही रहा, क्योंकि राज्य सरकारों ने यू.एल.बी. को पूरी तरह सशक्त किया ही नहीं, ताकि वे संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप काम कर सकें। दूसरी ओर, कई कार्यक्रम इस लिए भी सफल नहीं पाये क्योंकि शहरी क्षेत्र कई स्वामित्वों के नियंत्रण में होते हैं और स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन में भी कोताही बरती जाती है। (कुंड, अमिताभ 2014)

भारतीय योजना का कामकाज केन्द्रित, शीर्ष से नीचे और क्षेत्र आधारित रहा है। शहरी विकास योजना के बारे में यह भी सच है कि इसने शहरी आवास, जलापूर्ति, स्वच्छतास्वच्छता, झुग्गी विकास, शहरी आधारभूत संरचना का निर्माण, मेगा सिटी और छोटे और मध्यम शहरों पर फोकस किया है। हालांकि शहरी विकास राज्य का विषय है, ऐसा कम ही संभव है कि राज्य एक समन्वित शहरी विकास, नीतियाँ और योजना पर सोचें। राज्य योजना आयोग/ध्वोर्ड अपेक्षित रूप से राज्य शहरी विकास कार्यक्रमों में पर्याप्त हाथ नहीं बंटा पाये हैं और ज्यादातर योजना आयोग एक विशेषज्ञ के तौर पर जैसा सुझाव देता है, उस पर ही निर्भर करते हैं। दूसरी ओर, शहरी विकास एक अतिअवश्यक महत्व का विषय है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं जैस बिजली, पेयजल, स्वच्छता और एल.पी.जी. की कमी से जूझते रहते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़, हवा और जल प्रदूषण, नगर निगम का कचड़ा का जमाव सहित कानून व्यवस्था कुछ अन्य मुद्दे हैं, जो शहरी प्रशासन की चिंताएं बढ़ाते रहते हैं। शहरी योजना मुख्यतः स्थानीय निकाय, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत जो सामान्यतः यू.एल.बी. के तौर पर जाने जाते हैं, के द्वारा ही तैयार की जानी चाहिए, जिसमें राज्य सरकार का सहयोग हो। शहरी स्थानीय निकायों को उनके काम के अधिकार, वित्तीय स्रोत और स्वायत्ता से सशक्त किये जाने की खासी जरूरत है। यू.एल.बी. की प्रशासनिक, प्रबंधकीय और तकनीकी क्षमताएं बढ़ाने की भी नितांत आवश्यकता है। इसे महसूस किये जाने की जरूरत है कि शहरी योजना को शहरी प्रशासन से अलग नहीं किया जा सकता। संविधान के 74 वें संशोधन के तहत विस्तृत शहरी समूह जो कई नगर निकायों में फैले होते हैं और गाँवों के अंदर तक विस्तार पाते हैं, के लिए योजना बनाने की देखभाल महानगर योजना समिति द्वारा की जानी चाहिए। भारत के अधिकांश शहरों में प्रभावी शहर योजना का अभाव नजर आता है। अधिकांश नगर योजना प्रासंगिक नहीं रह गयी है और इससे न सिर्फ शहरवासियों को बल्कि गाँव के लोगों को भी कोई फायदा नहीं होता। यहाँ तक कि जहाँ योजना को संशोधित या नया तैयार किया जाता है, वह काम भी सलाहकार या तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाना चाहिए। योजना के इस तरह से बननी चाहिए कि शहर के निवासों अपनी जरूरतों के अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकें, यह भागीदारीपूर्ण और विकेंद्रित हो। संविधान के 74 वें संशोधन के तहत यू.एल.बी. को लोकातांत्रिक और सशक्त बनाये जाने की सख्त आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर स्मार्ट शहरों की



नवीन परिकल्पना करने का भी निर्मित हो चुकी है तथा इस भारतीय समाज से तेजी से लागू प्रयास किया जा रहा है तथा वैश्वीकरण के दौर में इसकी और अधिकाधिक विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है।

हालांकि एक शहर को स्मार्ट बनाने के लिये जनता केन्द्रित तकनीकी सुविधाएँ विकसित करने की जरूरत होगी। विकास के लिये आई. सी.टी. की शक्ति का इस्तेमाल करने का विचार पारदर्शिता और प्रशासन में सुधार के लिये भारत में नया नहीं है बल्कि यह एक लंबे समय से हो रहा है। इससे बावजूद भी सभी शहरों को डिजिटल संपर्क से जोड़ना आवश्यक है तथा गाँवों को भी स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जा सकता है, हालांकि सर्वप्रथम उन्हीं गाँवों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जा सकता है, जो पहले से शहरों के नजदीक हो। धीरे-धीरे इस परिधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भगत, आर. बी. (2014) : भारत में शहरी नीति और कार्यक्रम: अतीव और भविष्य योजना, सितम्बर 2004.

2. भाष, अन्नपूर्णा (1996): अर्बन पॉलिसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया ऐन अप्रेजल इकोनोमिकल ऐंड पालिटिकल वीकली, जनवरी 24, पृ०-224-228.
3. रामचन्द्रन आर. (1989): अर्बनाइजेशन एण्ड अर्बन सिस्टम्स इन इंडिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।
4. चन्द्र, खिर, एस एंड वेंकटेश निहारिका (2014) स्मार्ट शहरों के लिये योजना: कहा से हो शुरूआत, योजना सितम्बर 2014, 30-31.
5. कुंड, अमिताभ (2014): ड्रुग्गी मुक्त भारत का एक दृष्टिकोण, योजना, सितम्बर 2014.
6. राय, नीरज कुमार (2011): सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक संरचना, ज्ञान पब्लिशिंग हाऊस, दरियागंज, नई दिल्ली।
7. बत्रा, ललित (2009): ए रिव्यू अफ अरबनाइजेशन एंड अर्बन पॉलिसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, वर्किंग पेपर सिरिज, सी.एस.एल.जी., जे.एन.यू., नई दिल्ली।
